RAF SECTOR

NEWS CLIP

11/11/19

TO SERVE HUMANITY WITH SENSITIVE POLICING

Dainik Jagran , Lucknow (UP)

स्टेशन, एयरपोर्ट पर सघन तलाशी

जासं, लखनऊ : रेलवे ने शुक्रवार रात ही देर रात तक मॉनिटर कर अलर्ट जारी कर दिया था। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद शनिवार को चारबाग स्टेशन और लखनऊ जंक्शन पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। आरपीएफ कमांडेंट दिन में कई बार स्टेशन गए और सुरक्षा का जायजा लिया। ट्रेनों में भीड़ रोज की तरह उमड़ी।

दून एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में सैकड़ों लोग वेटिंग में रह गए। आइजी एसके भगत, मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम और एसपी रेलवे सौमित्र यादव ने श्वान दस्ते के साथ वेटिंग हॉल सहित परिसर की जांच भी की। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट पर भी सीआइएसएफ अलर्ट पर रही। एयरपोर्ट पर विमानों से जाने वाले यात्रियों के वाहनों की सघन जांच की गई।

बस स्टेशनों पर सन्नाटा

खाली खड़ी रहीं रोडवेज बसें आम दिनों में जहां बस स्टेशनों की सीट फुल रहती थी और बैठने के लिए जगह नहीं होती थी। शनिवार को सीटें खाली पड़ी थीं। शहर के कैसरबाग, चारबाग और आलमबाग बस स्टेशनों पर यात्री नजर नहीं आए। हाल यह था कि बस स्टेशनों पर बसें खाली कतारों में खड़ी थीं। आरएम पल्लव बोस ने बताया कि शाम तक यात्रियों की संख्या काफी कम रही। वहीं, सुबह के समय अयोध्या में परिक्रमा करने वाले यात्रियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए 56 बसें भेजी गई हैं। शाम को दिल्ली जाने वाली एसी सेवाओं में भीड़।

सुरक्षा का जायजा लेते पुलिसकर्मी

Dainik Jagran , Prayagraj (UP)

छावनी बनी अयोध्या

Hindustan , Jamshedpur (JKD)

शहर में दूसरे दिन भी सख्त रही सुरक्षा व्यवस्था

चौकसी

जमशेदपुर | संवाददाता

रविवार को मानगो हनुमान मंदिर के पास तैनात रैफ के जवान। • हिन्दुस्तान

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर ही मंदिर बनने के अदालत के फैसले आने के बाद दूसरे दिन भी शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, इंडियन रिजर्व बटालियन, जिला बल के जवानों को तैनात किया गया था। शहर के कई इलाके ऐसे थे जहां क्यूआरटी की तैनाती की गयी थी।

मानगो के बड़ा हनुमान मंदिर, बारी मस्जिद, मुंशी मोहल्ला मस्जिद के बाहर सबसे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। मानगो इलाके में सुबह से ही फोर्स तैनात थी। आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही जगह पर बदल-बदलकर रैफ के जवान प्रोटेक्टर के साथ खड़े थे। इधर साकची गोलचक्कर में भी सुबह से ही वज्र वाहन के साथ रैफ के जवान मुस्तैद थे। साकची आई अस्पताल, बजार मास्टर ऑफिस के पास उनकी तैनाती की गयी थी। इसके अलावा साकची इलाके में पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही थी। दूसरे दिन भी बाजार इलाके में भीड़ कम थी। लम्बी दूरी की बसों में यात्रियों की संख्या दो दिनों की अपेक्षा रविवार को अधिक देखी गयी।

इधर, शहरी क्षेत्र में ऑटो रिक्शा काफी कम चले। लेकिन इसकी वजह जश्न ए ईद मिलादुन्नबी बतायी गयी। साकची से आजादबस्ती, कदमा, धतकीडीह मार्ग में लोगों को ऑटो के लिए दोपहर 1 बजे से पहले तक परेशानी का सामना करना पड़ा।

दूसरी ओर, विभिन्न इलाकों में हर थाने की पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही थी। इस दौरान यदि कोई सड़क किनारे एक साथ बैठे दिख जाने पर उसे बुलाकर जवाब-तलब किया जाता था।

Nav Bharat Times , Delhi

एजेंसियां थीं तैयार, नहीं हुआ कोई विवाद

Narendra.Mishra
@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : अयोध्या मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह देश में पूरी तरह शांति रही, वह आम लोगों के संयम की जीत के साथ सुरक्षा एजेंसियों की समय पर की गई तैयारी और हर स्तर पर बेहतर कोऑर्डिनेशन का भी नतीजा था। दरअसल पंद्रह दिनों से ही सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया था। होम मिनिस्ट्री के निर्देश पर 29 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक अलग-अलग स्तर पर दो दर्जन से अधिक मीटिंग हुईं। सभी राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों से फीडबैक लिया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद मामले की समीक्षा कर अपने स्तर पर निर्देश दिए। वहीं, एनएसए अजीत डोभाल ने सुरक्षा एजेंसियों से आ रही इनपुट पर लगातार नजर रखा। सभी एजेंसियों के साथ मिलकर निचले स्तर पर उन्हें अलर्ट किया। सोशल मीडिया पर हेट कंटेंट और अफवाह को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थीं। पिछले चार दिनों में दस हजार से अधिक ऐसे कंटेंट सोशल मीडिया से हटवाए गए। संवेदनशील इलाकों के पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए अलग से टीम दी गई थी जिसमें तकनीकी एक्सपर्ट भी शामिल थे। इसके बाद अलग-अलग समुदाय के लोगों से संवाद लगातार रखा गया। फैसला से पहले और फैसला के बाद यह अभियान जारी रही।

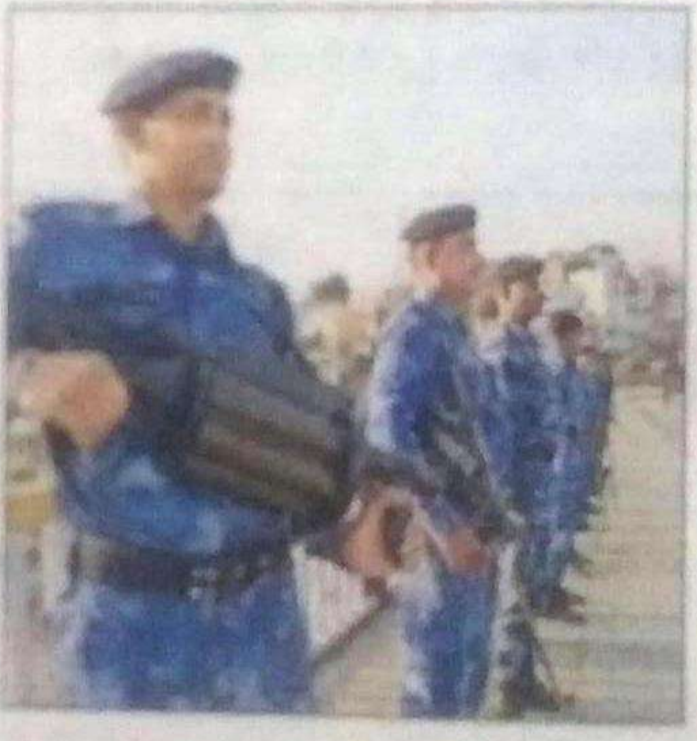

Hindustan , Prayagraj (UP)

स्थान पर रामजन्म की आस्था धर्मग्रंथों से प्रमाणित

विश्लेषण

नई दिल्ली | श्याम सुमन

अयोध्या में जन्मस्थान को रामलला विराजमान के हवाले करने का फैसला देने वाले चार जजों ने जहां कानून में स्वीकार्य ठोस सबूतों और गवाहियों का सहारा लिया है। वहीं, एक जज ने अपने फैसले में हिन्दुओं की लगातार व गहरी आस्था तथा इस विश्वास को फैसले का आधार बनाया की वे विवादित स्थल पर मस्जिद बनने से पहले और उसके बाद भी शाश्वत रूप से यह मानते रहे कि भगवान राम यहीं पैदा हुए थे, जहां मस्जिद बनाई गई है।

संभवतः 114 पन्नों का यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की पीठ के एक जज जस्टिस अशोक भूषण का है। क्योंकि इसमें वही सवाल और बयान हैं जिन्हें उन्होंने मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन से पूछे थे। ऐसा नहीं है कि जज ने इस मामले सिर्फ आस्था को ही एकमात्र आधार बनाया है। उन्होंने इसकी पुष्टि कानूनी रूप से साक्ष्य अधिनियम की कसौटी पर भी की है। उन्होंने वाल्मीकि रामायण (300 से 200 ईसा पूर्व), स्कन्द पुराण के अयोध्या महात्म्य खंड, रामभक्त, श्रीमद्नरसिंह पुराण व रामचरित मानस (1570) का विश्लेषण किया है। इनमें पाते हैं कि कोशल के राजा दशरथ के यहां भगवान रामचन्द्र का जन्म हुआ है जो अयोध्या में है और यह जन्म विष्णु का अवतार है। स्कन्द पुराण में उस जगह का नक्शा भी है जिसे आज भी सत्यापित किया जा सकता है।

फैजाबाद कमिश्नर पी कार्नेगी की 1870 की रिपोर्ट की हिन्दुओं के लिए अयोध्या ऐसी ही है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का। उन्होंने कहा ये वही स्थान है यहां बाबर ने 1528 में मस्जिद बनवाई थी। कोर्ट ने कहा कि धर्मग्रंथ, सरकारी रिपोर्ट, गजेटियर व यात्रा वृतांत हिन्दुओं की आस्था की पुष्टि करते हैं तथा बताते हैं कि हिन्दू यहां लगातार पूजा करते रहे।

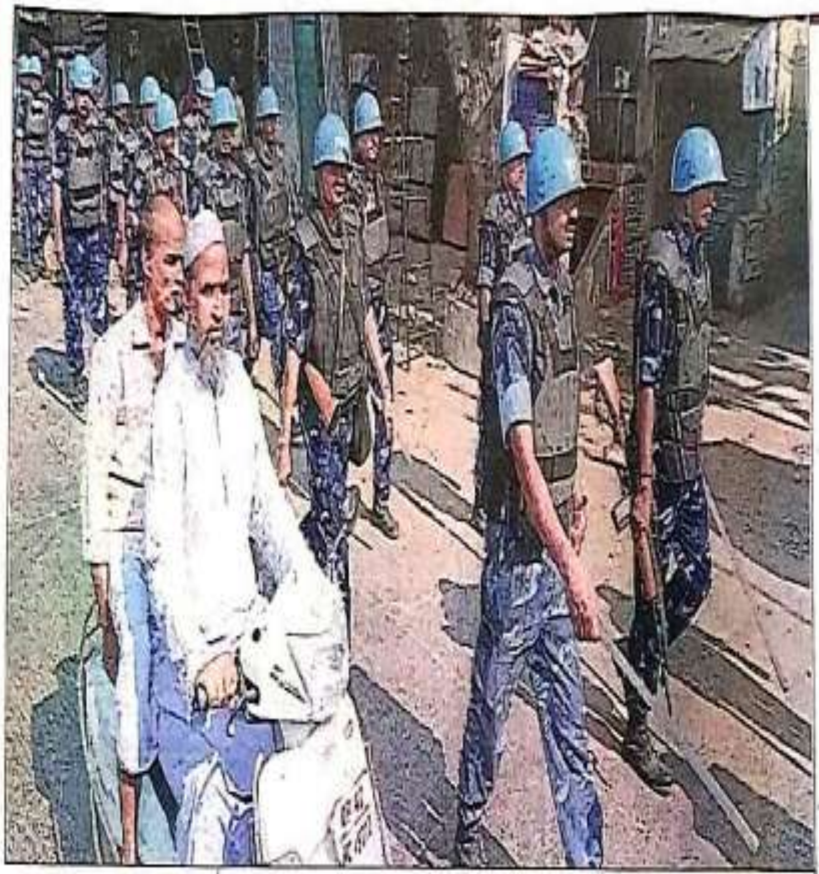

अयोध्या में रविवार को शहर में शांति और अमन के लिए फ्लैग मार्च करते सुरक्षा बल के जवान। • एजेंसी

इसलिए इसे मस्जिद जन्मस्थान कहा जाता था

कोर्ट ने कहा जब 1.11.1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को अपने अधीन कर लिया तो इस स्थान को हमेशा मस्जिद जन्मस्थान लिखा जाने लगा। जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकारी अधिकारियों ने इस मस्जिद को हमेशा जन्मस्थान माना था। सरकार का जन्मस्थान को दर्शाने का यह तरीका गजेटियर/ सरकारी रिपोर्ट की पुष्टि करते हैं कि जन्मस्थान पर मस्जिद बना दी गई थी। कोर्ट ने कहा, ये गजट और सरकारी रिपोर्ट तथा धार्मिक ग्रंथ आस्था के अनंत समय से टिके रहने का प्रमाण है। जबकि मुस्लिमों कि ओर से ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया गया है।

विवादित जमीन नजूल भूमि

कोर्ट ने माना कि 1500 वर्ग गज का विवादित प्लॉट नजूल भूमि है जो सरकारी जमीन है, लेकिन इस पर विवाद में सरकार का अपना दावा नहीं करने से इस भूमि को दो पक्षों के बीच विवादित भूमि में लिया गया। कोर्ट ने कहा कि 1856 से लेकर अब तक जितने भी मुकदमे हुए, सरकार कभी उनमें पक्षकार नहीं रही।

विवादित स्थल महज 1500 वर्ग गज

अयोध्या में जन्मस्थान की विवादित भूमि 1500 वर्ग गज ही है, लेकिन ढांचा विध्वंस के बाद सरकार के 1993 में अयोध्या में विवादित स्थल और उसके आसपास की भूमि अधिग्रहण करने के कारण ये भूमि 2.77 एकड़ कही जाने लगी। सरकार ने सुरक्षा कि दृष्टि से इस स्थल के चारों ओर की कुल 67 एकड़ से ज्यादा भूमि को कब्जे में ले रखा है। हिन्दू महासभा के वकील रवि शंकर कुमार ने कहा कि विवादित स्थल 1500 वर्ग गज ही है।

रिपोर्ट और गजट की मान्यता होती है

कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस बात को नहीं माना कि 1856 से पहले की रिपोर्ट और गजट की मान्यता नहीं है। क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं तैयार किए गए थे बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज थे, जो व्यावसायिक ट्रस्ट था। वहीं यात्रियों के वृतांत पर भी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे सुनी सुनाई बातों तथा उनकी कहानियों पर आधारित है। लेकिन कोर्ट ने कहा, साक्ष्य कानून, 1872 की धारा 3 में यह परिभाषित किया गया है कि सबूत क्या है। वहीं धारा 57 कहती है कि कोर्ट ऐसी बातों को साक्ष्य मान सकती है जिसके बारे में किताब या दस्तावेज मौजूद हो। वहीं धारा 87 कहती है कोई भी सरकारी गजट या रिपोर्ट को वास्तविक माना जाना चाहिए। ऐसे में यह कहना की 1858 से पहले के सबूतों को नहीं मानना चाहिए सही नहीं है। कोर्ट ने कहा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश महारानी के 31.12.1600 के चार्टर के तहत व्यापार करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसके बाद 1805 में कंपनी को अवध सूबे में सदर कोर्ट स्थापित करने का अधिकार मिला। 19वीं सदी कि शुरुआत में कंपनी को व्यापार की करने की शक्ति थी लेकिन इसे ब्रिटिश चार्टर के तहत सत्ता के अधिकार मिले जिसे 1801 में अवध के नवाब ने भी मंजूरी दी। इस दौरान कंपनी ने जो रिपोर्ट तैयार की वे सार्वजनिक इतिहास है। ये दस्तावेज स्पष्ट रूप से धारा 57 के तहत मुकदमे में मान्य है।

मुस्लिम इतिहासकार की किताब का जिक्र

पीठ ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गैजेट 1828 का वॉल्टर हैमिल्टन का है, जिसमें उन्होंने हिन्दुओं के विवादित स्थल पर लगातार पूजा करते रहने की बात कही। इसके बाद 1838 के हिस्ट्री ऑफ इस्टर्न इंडिया में भी अयोध्या के वैभव का जिक्र किया है। 1854 के गजेटियर ऑफ इंडिया में अयोध्या और उसकी हिन्दुओं में आस्था का ब्योरा है। कोर्ट ने एक मुस्लिम इतिहासकार मियाजान की किताब, हदीस-ए-सेहबा (1856) का उल्लेख किया है। इसमें बताया गया है कि राम का जन्म स्थान सीता की रसोई के बगल में है। वहां बाबर ने हिजरी 923 में मस्जिद बनवा दी थी। वह लिखता है कि आज इस सीता की रसोई को ही मस्जिद कहा जाता है। इस किताब में वह स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि भगवान राम के जन्मस्थान पर बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। कोर्ट ने कहा कि किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष हिन्दू मुसलमानों के बीच इस मुद्दे पर वैमनस्य फैल गया था। कंपनी प्रशासन ने विवाद को देखते हुए मस्जिद के आगे 1858 लोहे के जाल बनवा दी थी, बावजूद हिन्दू मुख्य गुबंद की ओर मुंह कर पूजा करते रहे।

The Hindu , Coimbatore (TN)

Ayodhya verdict: Normal life unaffected in dist

J Jackson

ON ALERT: As many as 1,800 police personnel, including those from the quick reaction team, armed reserve police and Tamil Nadu special police have been deployed across the city. The cops will continue to be on duty on Sunday also

TIMES NEWS NETWORK

Coimbatore: The district is under thick security blanket following the Supreme Court verdict on the Ayodhya land dispute on Saturday.

As many as 1,800 police personnel, including those from the quick reaction team (QRT), armed reserve police and Tamil Nadu special police have been deployed in the city to prevent any untoward incidents. Moreover, 250 rapid action force (RAF) personnel and 50 central reserve police force (CRPF) personnel are also guarding the city.

RAF personnel were deployed at crowded places including Koniyamman temple on the Big Bazaar Street and the Ukkadam Bus Stand in the city. Armed police were deployed at some of the mosques.

City police commissioner Sumit Sharan, deputy commissioners L Balaji Saravanan (law&order) and E S Uma (Crime) reviewed the security arrangements.

Normal life was not affected in the city. Shops were open at commercial hubs such as Town Hall and Gandhipuram.

The commissioner told TOI that the cops will continue to be on duty on Sunday. "CRPF and RAF will assist the city police," he said. The top cop advised people not to share inflammatory messages on social media.

As many as 1,500 police personnel were deployed in the rural areas.

Special task force superintendent Pa Moorthy deployed police teams at communally-sensitive area in Mettupalayam. ADGP Shankar Jiwal inspected the security arrangements.

Inspector general of police K Periaiah said that 11,000 cops were deployed in the eight districts of the zone. "Security measures will be in place on Sunday also," he added.

Scanned with CamScanner

The Times Of India, Delhi

SC bench veered towards unanimity soon after hearings ended on Oct 16

Draft Was Ready By Nov 3, Final Touches Given On Thursday

Dhananjay Mahapatra
@timesgroup.com

New Delhi: The five-judge constitution bench of the Supreme Court veered towards a unanimous decision on the Ayodhya dispute soon after the arguments concluded on October 16, though each judge had been meticulously taking down notes and preparing to write a judgment on his own from the day the hearings began on August 6.

FULL COVERAGE: P 6, 9 & 14

Once the unanimity of view was achieved, one of the judges was entrusted the task of writing the judgment. The first draft was ready late on November 3 and was circulated among the judges the next day. The judges exchanged their views, suggested additions and deletions as well as alterations in the final draft by Wednesday. By Thursday, the final judgment was ready for pronouncement.

The Supreme Court bench decided to announce the verdict on Saturday after the five judges learned first-hand from police officials as well as from the Union home secretary and Intelligence Bureau chief that adequate security arrangements had been put in place to deal with possible law and order disruptions as well as angry response from some quarters.

▶Element of surprise, P 9

Locals drive past RPF jawans patrolling a street in Ayodhya on Sunday in the aftermath of the temple verdict

Doval meets Hindu, Muslim leaders

NSA Ajit Doval on Sunday met Hindu and Muslim religious leaders to seek their cooperation to maintain peace and communal harmony. As per sources, religious leaders reposed full faith in the rule of law. P9

Race to finish mandir before 2022 UP polls

The construction of Ram Mandir is likely to be finished by 2022 when Uttar Pradesh will go to polls. CM Yogi Adityanath is likely to fast-track construction as Ram temple is a key aim of the Goraksh Peeth he heads. P9

Muslim procession called off in Ayodhya

Milad-ul-Nabi – the birthday of Prophet Mohammed – celebrations were called off in Ayodhya on Sunday as "a precautionary measure". Tight security was enforced, with patrolling and frisking continuing. P9

Sunni Board to take a call on 5 acres by Nov 26

A day after the Supreme Court's verdict in the Ayodhya dispute case, UP Sunni Central Waqf Board on Sunday said it will decide by November 26 whether to accept the five acres of land for construction of a mosque in Ayodhya allocated by the SC, reports **Yusra Husain.** Board chief Zufar Faruqi told **TOI** that if it decides to take the offer, the board will take a call on the location where it wants the land to be allocated. P9

Will give up site, give mosque land: Board to SC in Mar

The Sunni Central Waqf Board had written to the Supreme Court in March this year, stating it was ready to relinquish its claim over the disputed site in Ayodhya in the larger interest of national harmony in lieu of a mosque at an alternative site, reports **Subhash Mishra. TOI** is in possession of a copy of the settlement offer of the key litigant in the Ayodhya title suit. P9

The Times Of India, Delhi

Ram temple construction may start early next year

Good Progress Expected By 2022 When UP Goes To Polls

Akhilesh.Singh
@timesgroup.com

New Delhi: The construction of Ram Mandir is likely to start from Makar Sankranti next year and is unlikely to involve a fresh 'shilanyas' (ground breaking ceremony).

Sources said the government is likely to move fast to comply with the Supreme Court's directives for setting up a trust, and will coordinate with all the stakeholders to speed up construction of what has been promised to be a "grand Ram Mandir". "Sankranti is an auspicious time to start the project and we expect the government will complete the formalities by then," a senior functionary said.

Sources also said they expect good progress by 2022 when UP will go to polls. UP CM Yogi Adityanath is sure to pull out all stops for the Mandir project which has been a key objective of the Goraksh Peeth he heads.

AP

ON GUARD: Paramilitary personnel patrol in Ayodhya on Sunday

The VHP on Sunday said the Centre should take swift action on the apex court judgment and demanded the structure be built as per the design prepared by architect Chandrakant Sompura on its request.

Renowned temple architect Sompura was asked to prepare the design in 1989 by then VHP chief Ashok Singhal and it was circulated among devotees across the country, organisation's working president Alok Kumar said. "We expect the new temple to be build accordingly," he added.

According to VHP office-bearers, work on carving stones and building pillars for the temple has progressed a lot and these should be used in the construction. In a special meeting of VHP office-bearers here, it was decided to urge the government to take swift action in building temple.

Kumar said they are expecting that while setting up the Supreme Court mandated trust, the government will incorporate members of the existing Ram Janmabhoomi Nyas, who had been looking after preparations for temple construction so far. "Once the trust is formed, which has to be done within three months, temple construction will start immediately," a senior functionary, privy to the developments, said.

While Adityanath will be in the forefront of overseeing construction work as chief minister, he was a frequent visitor to Ayodhya after taking over. Yogi visited the holy town 18 times in two-and-a-half years.

"The SC decision has removed the hurdles and paved the way for construction of a grand temple," he said after the verdict.

Namaste Telangana (TS)

99BN RAF DURING DEPLOYED I/O DUTY AT HYDERABAD MAIN CITY

Dinamani (TN)

யோத்தி தீர்ப்பை முன்னிட்டு, கோவையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட, அதிவிரைவு படையினர். இடம்: ஆத்துப்பாலம். ■ கண்ணீர் புகை குண்டு
பணியில் ஈடுபட்ட அதிவிரைவு படையினர். இடம்: காந்திபுரம், கோவை.

105BN RAF DURING DEPLOYED I/O DUTY AT COIMBATORE MAIN CITY

Photos of Deployment/ Fam-Ex Of RAF

सी0आर0पी0एफ0 सदा अजेय, भारत माता की जय।